०४/५/२१	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष हाजिर। वकील उभय पक्ष बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने गलती से प्रार्थी की आराजियात में डॉट-आ० नं० 1034, 1035, 1058, 1039 व 1040 में डॉट करके लाईन अंकित कर दी है जिसकी राजस्व रेकर्ड में कोई किस्म दर्ज नहीं है। राजस्व कार्मिकों की गलती का अप्रार्थीगण नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी की आराजियात में रास्ता दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थी को बार-बार परेशान करते है और ऐलानिया धमकियां देते है कि प्रार्थी के खेत से जबरदस्ती [illegible] निकालेंगे। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब [illegible] पेश नहीं किया गया जिसके कारण इनका जवाब बंद किया गया था। वकील	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.04.16 15:14:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी
	प्रार्थी ने बहस में बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है क्योंकि प्रार्थी की रेकॉर्ड भूमि में अप्रार्थीगण जबरदस्ती रास्ता निकालना चाहते हैं। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद नहीं करवाया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजियात में रास्ता निकाल लेंगे जिससे अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी। साथ ही सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करवाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी की आराजियात में डॉट-डॉट लाइन रास्ते के रूप में दर्ज है। जिस पर प्रार्थी का कोई हक व कब्जा-काश्त नहीं है। अतः प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। हमने वकील उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया जिसके आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार करने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.4.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] 08.4.21 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपलसागर जिला भीलवाड़ा (राज.) पुनश्च: इतना लिखे जाने पर पत्रावली का अवलोकन किया। त्रुटिवश आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। वकील उभयपक्ष की बहस के [illegible] प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 स्वीकार किया जाकर [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] वाद के निस्तारण तक जारी की जाती है [illegible] अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी में अनाधिकृत प्रवेश ना कर किसी प्रकार का नुकसान खुद-बुद नहीं करेंगे ना ही किसी और से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.4.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] 08.4.21	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.04.16 16:14:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner